

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० क०० शतपथी
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉकी, दिनांक :- १६.६.१२

विषय :-

मॉग संख्या-49—जल संसाधन विभाग, योजना मुख्य शीर्ष-4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01—बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष-789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना, उप शीर्ष-59—चालू बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05—निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य, विपत्र कोड-49P471101789590544, के अंतर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष-2012-13 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4711 — बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	49—जल संसाधन विभाग 4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय / 01—बाढ़ नियंत्रण,	789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना, उप शीर्ष-59—चालू बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का कार्यान्वयन,	05—निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य / 49P471101789590544	34.00

आवंटित राशि – ₹ चौंतीस लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-2013 के बजट उपबंध रु० 75.00 लाख (पचहत्तर लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत / अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

मूल
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

कृष्ण
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

बी. सी. निगम
विशेष सचिव
(ल)

7. सरकारी नियम / अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्

६१
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

67

रॉची, दिनांक :- 16.6.12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी डोरन्डा/रॉची/साहेबगंज सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्

६१

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

67

रॉची, दिनांक :- 16.6.12

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, /सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(मुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

६१

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक

67 दिनांक १६.६.१२

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 1

मांग संख्या—४९—जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष—४७१—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिवर्य

उप मुख्य शीर्ष—०१—बाढ़ नियंत्रण

लघु शीर्ष—८८९—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उप योजना,

उप शीर्ष—५९—चालू बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का कार्यान्वयन

विस्तृत शीर्ष—०५—निर्माण ४४ लघु निर्माण कार्य

विपत्र कोड—४९P471101789590544

वित्तीय वर्ष १२—१३ में बजट उपबंध रु. ७५.०० लाख (पचहत्तर लाख) मात्र।

क्र.	प्रमङ्गल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थीर्कृति की चारिं	प्रशासनिक स्थीर्कृति का प्रसंग	मार्च 2012 तक का व्याय	वित्तीय वर्ष २०१२—१३ में आवंटन			
							पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
१	सिंचाई प्रमङ्गल सं०—१, बरहेट	देवधर	साहेबगंज जिलान्तर्गत गुमानी नदी के दोयां बांध पर दरियापुर गांव के पास कटाव निराधक कार्य।	१/पी०प०म०सी०/कार्य/ ११४/०३- ४९/१०-११ प्र०स्टी० दि००७.०३.२०११	११०.००० ७६.००० ०.००० ०.०००	३४.००० ३४.००० ३४.००० ३४.०००	०.००० ३४.००० ३४.००० ३४.०००	३४.००० ३४.००० ३४.००० ३४.०००	३४.००० ३४.००० ३४.००० ३४.०००	३४.०००

आवंटित राशि — ₹ चौंतीस लाख मात्र।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव